श्री संतोष कुमार
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम
सहरसा

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम
–सह–
विशेष न्यायाधीश अनु.जाति / जनजाति(अत्याचार निवारण)अधि.सहरसा

नियमित जमानत एस.सी.एस.टी.08 / 2026
नौहट्टा थाना कांड संख्या–231 / 2025

धारा–126(2), 115(2), 118(1), 109(1), 352, 351(2) B.N..S
एवं धारा–3(i)((s)एस.सी. / एस.टी.अधि.

1. राना कुमार राय उम्र करीब 30 वर्ष पिता–नन्दकिशोर राय साकिन–नगर पंचायत नौहट्टा, वार्ड नं.8, थाना–नौहट्टा, जिला–सहरसा...आवेदक

बनाम

1. बिहार सरकार ....विपक्षी

27.08.2026

दिनांक–04.12.2026 से कारावासित अभियुक्त राना कुमार राय की ओर से दाखिल जमानत आवेदन पर बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता श्री सुगंधी कुमार यादव तथा अभियोजन पक्ष का पूर्ण बहस सुना और अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से प्रतीत होता है कि इस वाद में सूचक निगम कुमार पासवान ने आवेदक पर यह आरोप लगाया है कि जाति सूचक शब्द का प्रयोग करते हुए उसके माथा पर चाकू से वार कियया जिससे उसका सर फट गया और गले से सोने का चकती जिसकी कीमत 15000 / –रू.था ले लिया और मोबाइल फोन जिसका कीमत 10,000 / –रू. था फोड़ दिया। अनुसंधान के क्रम में सूचक सह पीड़ित निगम कुमार का डॉ. के द्वारा परीक्षण किया गया और केस डायरी के पैरा 31 में जख्म प्रतिवेदन संलग्न है जिसमें जख्म की प्रकृति सामान्य दिखायी गयी है और कड़े तथा भोथरे हथियार से कारित किया गया। आरोप पत्र समर्पित किया जा चुका है।

अतः उपरोक्त तथ्यों,परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आवेदक / अभियुक्त को जमानत की सुविधा दिया जान उचित प्रतीत होता है। तदनुसार, काराधीन आवेदक / अभियुक्त राना कुमार राय को मो.

श्री संतोष कुमार
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम
सहरसा

नियमित जमानत एस.सी.एस.टी.08 / 2026

नौहट्टा थाना कांड संख्या–231 / 2025

–लगातार–

27.04.2026

10,000 / –रू.का बंधपत्र तथा समान राशि के दो प्रतिभूति सहित दाखिल करने पर जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

लेखापित

विशेष न्यायाधीश